

इस्पात मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *385
3 मई, 2012 को उत्तर के लिए

भूमि के आबंटन में एकरूपता का अभाव

*385. श्री धीरज प्रसाद साहू:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र (सेल) द्वारा आवास पट्टा धारकों के पोटैटो लैंड (अतिरिक्त निर्माण हेतु स्वीकृत भूमि) पर अतिरिक्त निर्माण हेतु आबंटित भूमि के आबंटन में एकरूपता का पालन नहीं किया गया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या आवास पट्टाधारियों और भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० (सेल) के बीच हुए समझौते के अनुसार, अतिरिक्त निर्माण के लिए संस्वीकृत भूमि (प्रति वर्ग फुट में) का बकाया पचास प्रतिशत मूल्य नहीं लिया जा रहा है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

इस्पात मंत्री

(श्री बेनी प्रसाद वर्मा)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

‘भूमि के आबंटन में एकरूपता का अभाव’ के बारे में श्री धीरज प्रसाद साहू, संसद सदस्य द्वारा दिनांक 03.5.2012 को पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *385 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के बोकारो स्टील प्लांट ने अपनी टाउनशिप में संबंधित क्वार्टरों के पट्टाधारकों द्वारा पौटेटो लैंड में अतिरिक्त निर्माण किए जाने की अनुमति प्रदान करने में एक समान प्रक्रिया अपनाई है। सितम्बर, 2002 में पौटेटो लैंड पर अतिरिक्त निर्माण की अनुमति अपेक्षित प्रभारों के भुगतान करने पर दी गई थी। मार्च, 2003 में अनुमेय सीमाओं से अधिक निर्माण के नियमतिकरण की अनुमति एकमुश्त उपाय के रूप में केवल उन मामलों में प्रदान की गई थी जहां पट्टा करार 13.2.2003 तक निष्पन्न किए गए थे और निर्माण पिलिंथ एरिया की अधिकतम सीमा के अनुसार अपेक्षित प्रभारों के भुगतान करने पर किया गया था जैसा कि निम्नलिखित तालिका में उल्लेख किया गया है:

क्र.सं.	क्वार्टर का प्रकार	सितम्बर 2002 में दी गई अनुमति के अनुसार अधिकतम अनुमेय पिलिंथ एरिया	मार्च 2003 में दी गई अनुमति के अनुसार नियमतिकरण का अतिरिक्त एरिया
1	ई/ईएफ/एफ	150 वर्ग फीट	75 वर्ग फीट
2	डी	196 वर्ग फीट	98 वर्ग फीट
3	सी	238 वर्ग फीट	119 वर्ग फीट

(ग) और (घ): ठेके के अनुसार स्वीकृत भूमि का 50 प्रतिशत बकाया मूल्य प्रभारों के रूप में उन सभी पट्टाधारियों से लिया गया था जिन्होंने अतिरिक्त निर्माण और अनुमेय सीमाओं से अधिक निर्माण के नियमतिकरण का चयन किया था। वर्ष 2008 में अनुमेय सीमाओं से अधिक निर्माण के नियमतिकरण के लिए एक संशोधित एकमुश्त योजना, जो 9.1.2009 तक वैध थी, लाई गई थी। यह योजना हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन द्वारा नए सिरे से किए गए मूल्यांकन के अनुसार संशोधित दरों पर आधारित थी लेकिन संबंधित पट्टाधारियों से इस योजना पर कोई अनुक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी।
